

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम गुजरवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 598/569 रकबा 2.40 है. में से नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 598/569/2 रकबा 1.78 है. की खातेदारी खाता संख्या 118 के खातेदारान व खसरा नम्बर 568 रकबा 0.06 है. खसरा नम्बर 569 रकबा 1.72 है. व नजरी नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 598/569/1 रकबा 0.62 है. की खातेदारी खाता संख्या 49 के खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) इसी प्रकार ख0न0 568 रकबा 0.06 है0 ख0न0 569 रकबा 1.72 है0 में प्रति0 स0 1, 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी स0 1 के 1/5, वादी स0 2 ल0 7 का 6/35 वादी स0 8 ल0 11 का 4/140, वादी स0 12 ल0 15 का 4/20, वादी स0 16 का 1/90, वादी स0 17 का 1/90, वादी स0 18 का 1/90, वादी स0 19 का 7/90, वादी स0 20 का 1/90, वादी स0 21 का 7/90, वादी स0 22 का 1/15, वादी स0 23 का 1/15, वादी स0 24 का 1/15, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। (3) तथा इसी प्रकार हाल ख0न0 598/569 रकबा 2.40 है0 में से 1.78 है0 भूमि का प्रति0 स0 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (4) नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.023 प्रदर्श- "अ" नक्शा दुरुस्त किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिसे जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

14/06/2023
यह निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर
इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्सु (राज.)



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर - 131/2020

जीसीएमएस नम्बर - 2020/00247

निर्णय दिनांक :- 14/06/2023

छोटूराम आदि बनाम जगदीश आदि
दावा- घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री प्रविन्दर सिंह एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार बुहाना स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/06/2023 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“ न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम गुजरवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 598/569 रकबा 2.40 है। में से नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 598/569/2 रकबा 1.78 है। की खातेदारी खाता संख्या 118 के खातेदारान व खसरा नम्बर 568 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 569 रकबा 1.72 है. व नजरी नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 598/569/1 रकबा 0.62 है. की खातेदारी खाता संख्या 49 के खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) इसी प्रकार ख0न0 568 रकबा 0.06 है0 ख0न0 569 रकबा 1.72 है0 में प्रति0 स0 1, 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी स0 1 के 1/5, वादी स0 2 ल0 7 का 6/35 वादी स0 8 ल0 11 का 4/140, वादी स0 12 ल0 15 का 4/20, वादी स0 16 का 1/90, वादी स0 17 का 1/90, वादी स0 18 का 1/90, वादी स0 19 का 7/90, वादी स0 20 का 1/90, वादी स0 21 का 7/90, वादी स0 22 का 1/15, वादी स0 23 का 1/15, वादी स0 24 का 1/15, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। (3) तथा इसी प्रकार हाल ख0न0 598/569 रकबा 2.40 है0 में से 1.78 है0 भूमि का प्रति0 स0 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (4) नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.023 प्रदर्श- “अ” नक्शा दुरुस्त किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिसे जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

